

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुक्म की तारीख
में जारी

FORM No. IH

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर, मुकाम: डीग (भरतपुर)

राज०सरकार जरिये तहसीलदार कांमा बनाम : चरनलाल

किस्म मुकदमा :- ~~अपील~~ ~~रैफरेन्स~~ नम्बर 56 सन् 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.01.2017	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी उपस्थित। पैरोकार सरकार (तहसीलदार कांमा) उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार कांमा द्वारा यह रैफरेन्स इस आशय के साथ के पेश किया गया है कि "विवादग्रस्त आराजी ख.न. 5606/0.42, 5610/0.37, 5612/0.28 किता 03 रकबा 1.07 है0 बाके ग्राम कांमा नम्बर-3 तहसील कांमा में स्थित है। उक्त भूमि मन्दिर माफी मन्दिर श्री दाऊजी महाराज के नाम राजस्व रिकार्ड में सम्बत 2003 में है तथा वर्तमान में अप्रार्थी राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज है।" नामान्तरकरण जिस आदेश के तहत दर्ज किये गये है, अगर वो आदेश अबैध व विधिनुसार नहीं है तो उस आदेश तथा सम्बन्धित नामान्तरकरणों को निरस्त किये जाने हेतु रैफरेन्स प्रस्तुत किया जा सकता है।</p> <p>नामान्तरकरण संख्या 193, 194, 655, 941, 2780 का अवलोकन किया गया। उक्त नामान्तरकरण जिस आदेश के तहत खोले गये है, उस आदेश की नकल/प्रति संलग्न नहीं की गई है।</p> <p>उक्त रैफरेन्स के पैरा संख्या-5 में यह भी अंकित किया गया है कि प्रकरण मन्दिर भूमि बनाम अब्दुल रहमान में होने के कारण सम्बन्धित नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। परन्तु मन्दिर सम्बन्धी भूमियों के सम्बन्ध में अब्दुल रहमान बनाम राज०सरकार बावत फैसले में कोई अंकन नहीं है कि मन्दिर सम्बन्धी भूमियों के रैफरेन्स इस फैसले की मालना के तहत प्रस्तुत किये जा सकते है।</p> <p>अतः उक्तानुसार तथ्यों व पत्रावली के साथ प्रस्तुत किये गये रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि रैफरेन्स के पैरा नम्बर 5 विधिनुसार नहीं है। साथ ही जिस आदेश से खातेदारी प्राप्त हुई है, उसकी कोई प्रति पेश नहीं की है न ही रैफरेन्स में यह स्पष्ट है कि यह आदेश क्यों विधि विरुद्ध है। यह रैफरेन्स प्रकरण तहसीलदार कांमा द्वारा विधिनुसार पेश नहीं किया गया है।</p> <p>अतः यह रैफरेन्स प्रकरण इस आदेश के साथ तहसीलदार कांमा को वापिस किया जाता है कि सम्बन्धित रिकार्ड/नकलें आदि की पूर्ति की जाकर विधिनुसार हो तो रैफरेन्स प्रकरण को पुनः प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p> <p>पैरोकार</p>

राजवीर सिंह यादव
अति०जिला कलक्टर